



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / बैठक / 2018 / २३४

दिनांक :: १७ मार्च 2018

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 22 फरवरी, 2018 को प्रातः 11.00 बजे श्री प्रो. (डॉ.) महेन्द्र सिंह राठौड़, माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 15 मई, 2017 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि

प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 15 मई, 2017 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 15 मई, 2017 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 15 मई, 2017 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: रिक्तिया भैरुजी मल्टी लेवल आर.ओ.बी. का नामकरण वीर दुर्गादास राठौड़ आवेरब्रिज करने बाबत।

रिक्तिया भैरुजी चौराहे पर निर्मित फ्लाई ओवर जिसकी कुल स्वीकृति रूपये 111.00 करोड़ रूपये है। इसे तीन माह पूर्व आम जनता के लिए खोल दिया गया है। जिससे 80 प्रतिशत पुल का भाग आम जनता के हितार्थ उपयोग में आ रहा है। शेष 20 प्रतिशत पुल के कार्य को करवाया जा रहा है जो कि माह मार्च, 2018 तक पूर्ण होने की संभावना है। इस ओवरब्रिज का नामकरण मारवाड के वीर श्री दुर्गादास राठौड़ की स्मृति में जे.डी.ए. की प्राधिकरण की मीटिंग में पुष्टि की प्रत्याक्षा में किया था। जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने भी सराहा है। अतः प्राधिकरण की बैठक में उक्त नामकरण का अनुमोदन की पुष्टि हेतु प्रस्ताव प्रेषित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: उम्मेद उद्यान में अमृत योजना के तहत विकास कार्यों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव कला व संस्कृति राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 2.8.2017 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया

गया था कि उम्मेद उद्यान में ग्रीन स्पेस के विकास हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सलाहकार श्री सिद्धार्थ दास से करवाया जाये। इसी संबंध में जिलाधीश महोदय जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 16.11.2017 को हुई बैठक में आयुक्त नगर निगम ने बताया की निगम स्तर पर सलाहकार नियुक्त कर पूर्व में परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी एवं निविदा भी आमंत्रित की जा चुकी है। किन्तु तकनीकी कारणों से राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण निविदा निरस्त की गई थी। समीक्षा उपरान्त उक्त कार्य हेतु श्री सिद्धार्थ दास को सलाहकार नियुक्त करने एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के क्रम में एवं रूडसिको द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार उम्मेद उद्यान में विकास कार्यों के लिये नगर निगम जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक 18287 दिनांक 01.12.2017 द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण को कार्यकारी एजेन्सी बनाने के संबंध में सूचित किया गया है।

उक्त निर्णय की पालना में जोधपुर विकास प्राधिकरण ने सलाहकार श्री सिद्धार्थ दास से सम्पर्क कर कार्य हेतु प्रस्ताव प्राप्त किये। श्री सिद्धार्थ दास ने अपने प्रस्ताव में परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुमानित लागत की 5 प्रतिशत दर से शुल्क की मांग की है। इसके अतिरिक्त कार्य सुपरविजन व समय—समय पर मौका निरीक्षण हेतु कुल निर्माण लागत के 2.50 प्रतिशत की दर से शुल्क की मांग की है। इस प्रकार कार्य के विरुद्ध सलाहकार द्वारा कुल लागत के 7.50 प्रतिशत की दर से शुल्क चाहा गया था।

सलाहकार द्वारा मांग की गई शुल्क की राशि अत्यधिक होने के कारण श्री दास को प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 4690 दिनांक 27.12.2017 द्वारा सूचित किया गया की प्राधिकरण में प्रचलित एसओपी अनुसार कन्स्लेन्सी कार्य हेतु स्वीकृति की अधिकतम सीमा परियोजना लागत का 2 प्रतिशत है। चुंकि कार्य की अनुमानित लागत रु. 2.50 करोड़ है। अतः एसओपी अनुसार परियोजना रिपोर्ट बनाने हेतु राशि रु. 5.00 लाख से अधिक स्वीकृति संभव नहीं है।

प्राधिकरण के उक्त पत्र के क्रम में सलाहकार श्री सिद्धार्थ दास ने दिनांक 2.1.2018 को प्रतित्युतर प्रस्तुत करते हुए अवगत करवाया की राशि रु. 15.00 लाख (कर अतिरिक्त) से कम लागत में कार्य किया जाना संभव नहीं है। तत्पश्चात श्री सिद्धार्थ दास को टेलीफोन पर स्वीकृति की सीमाओं का हवाला देते हुए दिये गये प्रस्ताव पर पुनः विचार कर संशोधित प्रस्ताव देने हेतु निवेदन किया गया। श्री दास के सन्दर्भित मेल से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें कार्य हेतु रु. 12 लाख (मय समस्त कर) की मांग की गई है।

उम्मेद उद्यान परिसर में स्थित म्यूजियम के जिर्णद्वारा/सौन्दर्यकरण का कार्य वर्तमान में कला व संस्कृति विभाग के अधीन प्रगतिरत है। प्राप्त जानकारी अनुसार प्रगतिरत कार्य हेतु सलाहकार श्री सिद्धार्थ दास हैं। अतः उम्मेद उद्यान के सम्पूर्ण विकास को एकरूपता से करवाने हेतु श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव कला व संस्कृति राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 2.8.2017 को हुई बैठक एवं तत्पश्चात श्रीमान् जिला कलकटर की अध्यक्षता में दिनांक 16.11.2017 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार श्री सिद्धार्थ दास को सलाहकार नियुक्त करना उचित प्रतित होता है।

चुंकि प्राधिकरण में प्रचलित एसओपी अनुसार परियोजना रिपोर्ट बनाने हेतु राशि रु. 5.00 लाख से अधिक की स्वीकृति संभव नहीं हैं किन्तु उपरोक्तानुसार राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 की धारा संख्या 17 (i) (क) अनुसार राज्य सरकार से वित्तीय अनुमति (Delegation of financial powers) उपरान्त राशि रु. 12.00 लाख की स्वीकृति जारी की जा सकती है।

मै

रुडसिको जयपुर द्वारा आयुक्त नगर निगम जोधपुर को प्रेषित पत्र क्रमांक 12207 दिनांक 29.11.2017 के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस परियोजना की कुल लागत का एक तिहाई भाग जोधपुर विकास प्राधिकरण को वहन करना है। वर्तमान में परियोजना की अनुमानित लागत ₹. 250.00 लाख है जिसका एक तिहाई भाग ₹. 83.33 लाख बनता है जो कि जोधपुर विकास प्राधिकरण को वहन करना प्रस्तावित है।

अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस परियोजना पर वहन की जाने वाली राशि ₹. 83.33 लाख एवं इस परियोजना की डीपीआर बनाने हेतु कन्सलटेन्सी कार्य की लागत ₹. 12.00 लाख के अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 9 फरवरी, 2018 में प्रस्तुत हुअर। जिसमें निर्णय लिया गया कि, “राज्य सरकार (रुडसिको) द्वारा उम्मेद उद्यान में विकास कार्यों के लिए नगर निगम के स्थान पर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को कार्यकारी एजेन्सी बनाये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके अनुसार कार्य की अनुमानित लागत 2.50 करोड़ रुपये की 33.33 प्रतिशत राशि कार्यकारी एजेन्सी को व्यय करनी होगी एवं शेष राशि राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से प्राप्त होगी। यद्यपि इस संबंध में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि इस संबंध में 33.33 प्रतिशत प्राधिकरण की हिस्सा राशि नगर निगम, जोधपुर से प्राप्त करने के लिए पत्राचार किया गया है। उक्त पत्राचार के क्रम में यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का कार्य सम्पादित करवाया जावे एवं हिस्सा राशि के संबंध में नगर निगम से अपनी क्लैम चाराजोही अलग से जारी रखी जावे। परन्तु अमृत योजना का प्राजेक्ट एवं उम्मेद उद्यान के विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा ही करवाये जावे।

उक्त कार्य को करवाने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार श्री सिद्धार्थ दास को सिंगल सॉर्स के द्वारा कन्सलटेन्ट नियुक्त करने का निर्णय अपेक्षित है। चूंकि श्री सिद्धार्थ दास द्वारा कन्सलटेन्सी कार्य के लिए 12.00 लाख रुपये की राशि की मांग की है जो कि आर.टी.पी.पी.एक्ट के द्वारा अनुमत है परन्तु प्राधिकरण की शिड्यूल ऑफ पावर (एस.ओ.पी.) के अनुसार प्रोजेक्ट राशि के 2 प्रतिशत से अधिक अर्थात् 5,00,000/- रुपये से अधिक कन्सलटेन्सी कार्य के लिए राशि स्वीकृत करना प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं है एवं इस संबंध में पूर्व में ही अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग को 12.00 लाख रुपये के कन्सलटेन्सी कार्य की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भिजवाया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) बनाने के लिए कन्सलटेन्सी कार्य की लागत 12.00 लाख रुपये की स्वीकृति नगरीय विकास विभाग से प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जावे एवं उपरोक्त कार्य हेतु प्रोजेक्ट को प्राधिकरण से करवाने की अनुमति प्रदान की गई।”

उपरोक्तानुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 83.83 लाख राशि व्यय की जानी है। जो मूल राशि 2.50 करोड़ की 33.33 प्रतिशत है। जिसे मूल रूप से नगर निगम जोधपुर द्वारा व्यय किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकरण स्तर पर नगर निगम से पत्र व्यवहार किया गया था। भूमि निष्पादन नियम 1974, 6A के अनुसार भूमि विक्रय/आवंटन/नियमन की राशि का जो 15 प्रतिशत शेयर प्राधिकरण द्वारा नगर निगम को हस्तान्तरण किया जाता है उसे इस कार्य में समायोजन किये जाने हेतु सेवार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

प्रकरण में प्राधिकरण के सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया गया जिसमें महापौर नगर निगम, जिला प्रमुख जिला परिषद जोधपुर, आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया। प्रकरण में कार्यकारी समिति के निर्णय दिनांक 9 फरवरी, 2018 पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रकरण में दो मुद्दे विचारणीय हैं। प्रथम कार्यकारी एजेन्सी के द्वारा 2.50 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट में से 33.33 प्रतिशत राशि को व्यय करना, दूसरा सिंगल कन्सलटेन्ट

को नियुक्त कर कार्य की डी.पी.आर. बनवाना एवं कार्य को करवाना। प्रकरण के बिन्दु संख्या 1 के संबंध में अवगत कराया गया कि अमृत योजना में यह कार्य मूल रूप से जोधपुर नगर निगम को राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया गया था जिसे कालान्तर में जोधपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर दिया गया। चूंकि इस कार्य की कार्यकारी एजेन्सी होने के नाते जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को 83.33 लाख रुपये की राशि व्यय करनी है जबकि यह कार्य मूल रूप से जोधपुर विकास प्राधिकरण का नहीं है। अतः विचार विमर्श कर बैठक में सर्व सम्मति से मय महापौर नगर निगम, जोधपुर की सहमति के निर्णय निर्णय लिया गया कि राजस्थान नगर सुधार (भूमि निष्पादन) नियम, 1974 की धारा 6-ए के अनुसार भूमि विक्रय/आवंटन/नियमन की 15 प्रतिशत हिस्सा राशि जो कि प्राधिकरण द्वारा नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित की जानी होती है, उक्त राशि में से इस 83.33 लाख रुपये की राशि का समायोजन कर लिया जावे।

बैठक में अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की एस.ओ.पी. के आईटम संख्या 6 के अन्तर्गत इस कार्य के लिए उच्चतर प्राधिकरण से स्वीकृति की वांछना के मद्देनजर जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा पत्र क्रमांक डीई/ 4760 दिनांक 9 जनवरी, 2018 के द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग को उपरोक्तानुसार 12.00 लाख रुपये व्यय करने की जो स्वीकृति चाही गयी थी वह नगरीय विकास विभाग के संयुक्त शासन सचिव-तृतीय के पत्र क्रमांक प. 8 (5) नविवि/1/2018 दिनांक 22 फरवरी, 2018 के द्वारा प्राप्त हो चुकी है। अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के नियम 17 (i) (a) के अन्तर्गत सिंगल सोर्स द्वारा उम्मेद उद्यान में विकास कार्य अमृत योजना (ग्रीन स्पेश) के तहत परामर्शी/वृत्तिक कार्य श्री सिद्धार्थ दास से करवाने की स्वीकृति दी जाती है।

प्रस्ताव संख्या 4 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद को जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर कमोन्नयन करवाने बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में वर्तमान में जनसम्पर्क शाखा में मात्र एक सहायक जनसम्पर्क अधिकारी का एक पद सृजित है, जो पूर्व में नगर सुधार न्यास के अस्तित्व में आने के बाद सृजित हुआ था एवं तत्समय से ही लगातार अस्तित्व में है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण के गठन के बाद न तो सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद की संख्या में कोई वृद्धि हुई है एवं न ही जनसम्पर्क अधिकारी का नवीन पद ही सृजित हुआ है। जोधपुर विकास प्राधिकरण के गठन के बाद प्राधिकरण की जनसम्पर्क शाखा के द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्यों में भी काफी वृद्धि हुई है एवं इसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ा है एवं बहुत से नए कार्य भी जनसम्पर्क शाखा में जुड़े हैं। वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए एक सशक्त एवं सुगठित जनसम्पर्क शाखा की आवश्यकता है साथ ही जनसम्पर्क अधिकारी की अति आवश्यकता है ताकि सक्षम स्तर से जनसम्पर्क शाखा द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्यों का प्रभावी सम्पादन करवाया जा सके।

वर्तमान में प्राधिकरण की जनसम्पर्क शाखा में मात्र सहायक जनसम्पर्क अधिकारी का एक ही पद सृजित है, जो प्राधिकरण की जनसम्पर्क शाखा द्वारा वर्तमान में सम्पादित किए जाने वाले कार्यों के मद्देनजर पर्याप्त प्रतीत नहीं हो रहा है अतः जनसम्पर्क अधिकारी की आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध में जोधपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम, 2014 की अनुसूची संख्या XI की क्रम संख्या एक पर जनसम्पर्क अधिकारी का पद शामिल है। प्राधिकरण के सेवानियमों में जनसम्पर्क अधिकारी का पद सम्मिलित करते हुए प्राधिकरण द्वारा

इसका गजट नोटिफिकेशन भी करवाया जा चुका है। इस तरह प्राधिकरण में जनसम्पर्क अधिकारी का नवीन पद विधितः सृजित अथवा क्रमोन्नयन किया जा सकता है।

सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद से आगे जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर पदोन्नति किए जाने का चैनल, जोधपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम, 2014 की अनुसूची संख्या XI की क्रम संख्या एक पर प्रावधानित है। जोधपुर विकास प्राधिकरण में वर्तमान में सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर डॉ. ललित कुमार मतनानी नियुक्त एवं कार्यरत है। संयुक्त शासन सचिव-तृतीय नगरीय विकास विभाग ने अपने पत्र क्रमांक प. 1(39)नविवि/II/2009 दिनांक 9/10/2013 प्रेषित कर लिखा है कि डॉ ललित कुमार मतनानी, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी की पदोन्नति जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर किए जाने के संबंध में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में जनसम्पर्क अधिकारी का नव पद सृजित किए जाने हेतु पत्रावली वित्त (व्यय-3) विभाग में भिजवाये जाने पर वित्त विभाग ने यह टिप्पणी अंकित की है कि "जोधपुर विकास प्राधिकरण जनसम्पर्क अधिकारी के पद को पहले सेवानियमों में सम्मिलित कराते हुए प्राधिकरण की गवर्निंग बॉडी से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्ताव भिजवाये।"

चूंकि जनसम्पर्क अधिकारी के पद का सेवानियम बनाकर गजट नोटिफिकेशन किया जा चुका है। अतः उक्त आधारों एवं कारणों के आधार पर जोधपुर विकास प्राधिकरण में सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद को जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर क्रमोन्नयन करवाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15.11.2017 के प्रस्ताव संख्या 2 पर "जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद को जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर क्रमोन्नयन करवाने बाबत" प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15.11.17 में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुसार सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद को जनसम्पर्क अधिकारी के पद में क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि चूंकि यह प्रकरण गवर्निंग बॉडी का अनुमोदन होना है। अतः प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें तत्पश्चात् पद क्रमोन्नत हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जावें।

अतः उक्त आधारों एवं कारणों के आधार पर प्रकरण प्राधिकरण बैठक में अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदन करते हुए सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद को जनसम्पर्क अधिकारी के पद में क्रमोन्नत करने की अनुशंशा करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: बासनी ओवरब्रिज तिराहे से एम्स अस्पताल होकर पाल रोड तक की सड़क का नामकरण "मीरा पथ" करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर विचार।

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बासनी ओवरब्रिज तिराहे से एम्स अस्पताल होकर पाल रोड तक की सड़क का नामकरण "मीरा पथ" किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त सड़क का नामकरण "मीरा पथ" करवाने हेतु संभागीय आयुक्त महोदय जोधपुर की अध्यक्षता में गठित सड़क नामकरण समिति के सदस्य सचिव उपनिदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर को प्रकरण प्रेषित किया जाना है।

प्रकरण के साथ जोधपुर विकास प्राधिकरण (बोर्ड) बैठक में नामकरण हेतु प्रस्ताव पारित

कर संलग्न किया जाना है। अतः प्रकरण प्राधिकरण (बोर्ड) की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: Approval of Proposed Alternatives submitted by Consultant M/s WAPCOS for construction of ROB/RUB in lieu of LC C-168 (RTO Phatak), Jodhpur in Authority meeting of JDA

With reference to above cited subject, M/s WAPCOS Ltd has submitted the four alternatives of proposed ROB/ RUB in lieu of LC C-168 (RTO Phatak), in fulfillment of agreement no. F38(01)/2017-18/ROB dated 10.11.2017. The details of submitted alternatives by WAPCOS are as follows:-

1. Alternative 1:-

'T' Shaped 2 lane ROB having two legs on Jaipur-Jodhpur Road and third leg on RTO office road

In this alternative, 'T' shaped ROB has been proposed with 3 legs. One of the leg is towards Jaipur side, second one towards Jodhpur side, and third one towards RTO side. Carriage way width in its each leg is 2 lane i.e. 7.50 m along with 0.5mtr wide RCC Crash Barrier on either side. Total width of ROB including RCC Crash Barrier will be 8.50 m. Where these all 3 legs are merging in the form of 'T' an elliptical rotary with its Major axis in the direction of NH traffic i.e. Jaipur-Jodhpur. ROB has been planned in central portion of available ROW on NH Jaipur-Jodhpur road. There shall be 7.50 m wide (2 lane) service road carriage way on either side of ROB approach for traffic on NH coming from Jaipur to Jodhpur and Jodhpur to Jaipur vice versa.

Its 3rd leg is falling on RTO office road having overall width of approach as 8.50m. On either side of ROB approach, there is a requirement of 8.50m space for construction of 5.50 m service road, 2.00m wide footpath and 1.00 m wide safety cushion along the RE approach. This makes total requirement of land on RTO office road as 25.5 m whereas available ROW on RTO office road is nearly 18.00 m. Hence, there will be minimum acquisition of nearly 3.75 m wide strip of land on both side of available ROW.

Salient features of ROB are as follows:-

- a. Approximate total length of ROB:- 1350 m
- b. Approximate cost of ROB:- Rs. 81.00 Crores
- c. Approximate length of ROB+Approach on RTO office road:- 450 m
- d. Approximate length of ROB+Approach on Jaipur-Jodhpur road:- 900 m

Demerits of this alternative:-

- a. Major land acquisition of Commercial and Residential property on RTO Office road
- b. Because of 2 lane carriage way width in ROB portion there is limitation of overtaking and chances of head on collision in case of rush driving.
- c. Looking to the present growth of traffic, very soon 2 lane ROB will feel inadequate.

2. Alternative 2:-

T Shaped RUB

In this alternative, 'T' shaped RUB has been proposed with 3 legs. One of the leg is towards Jaipur side, second one towards Jodhpur side, and third one towards RTO side. Carriage way width of each leg is 7.50 m with 1.0 m wide footpath cum drain on its either side, 0.50 m wide RCC Crash Barrier.

On RTO Office road 5.50 m wide carriage way in form of atgrade Service road with footpath cum drain of 2.00 m is proposed on both side of RUB. As per this proposal, total width of 25.50 m is required whereas available width of ROW is nearly 18.00 m. Hence, there will be minimum acquisition of nearly 3.75 m wide strip of land on both side of available ROW.

Salient features of RUB are as follows:-

- a. Approximate total length of RUB:- 830 m
- b. Approximate length of RUB+Approach on RTO office road:- 310 m
- c. Approximate length of RUB+Approach on Jaipur-Jodhpur road:- 520 m

Demerits of this alternative:-

- a. Major land acquisition of Commercial and Residential property on RTO Office road
- b. Because of 2 lane carriage way width in RUB portion there is limitation of overtaking and chances of head on collision in case of rush driving.
- c. Looking to the present growth of traffic, very soon 2 lane RUB will feel inadequate.
- d. In this proposal, available length in between centre line of existing track and NH is inadequate to meet the requirement of ruling gradient for RUB approaches as per IRC. Therefore, entire 'T' junction on NH in addition to RUB have been lowered down in order to meet the requirement of ruling gradient. This lowering down of NH as well as RUB portion will create drainage problem because of non availability / non functionality of existing drainage system on Jaipur-Jodhpur road. In rainy season, traffic in RUB as well as on NH will be hindered due to drainage disposal issue.

3. Alternative 3:-

'H' shaped Intermediate lane ROB with Circular Rotary on Jaipur-Jodhpur road

In alternative 3, consultant has proposed 'H' shaped ROB with circular Rotary in order to avoid direct point of conflict. Centre line of proposed ROB approaches on Jaipur-Jodhpur NH is matched with centre line of available ROW. In ROB approaches two 5.5 m wide intermediate lanes separated by 0.5 wide RCC median and 0.5 m wide RCC crash barrier on either side in its entire straight length of approaches upto Rotary. At Rotary this median has been converted in stream lined/ flared traffic island. Total width of ROB approaches including carriage way, median and RCC crash Barrier is 12.5 m.

Two ROB approaches on available 80' road parallel to railway track has been proposed. Out of 2 ramp, 1 ramp will be down ramp (for traffic from Jaipur-Jodhpur to RTO office side) and another ramp will be up ramp (for traffic from RTO office side to Jaipur or Jodhpur side). Total width of thee ramp including carriage way and RCC crash barrier shall be 6.5 m in which 5.50 m width will kept for carriage way and remaining 1.00 m for 0.5 m wide RCC crash barrier on either side. At grade there will be 3.75 m wide service road parallel to approaches of ROB. On other side of ROB approaches there will be 7.50 m (2 lane) at grade road.

In central portion over existing railway track, there will be 2 Two lane carriage way each of 7.50 m wide separated by 1.2 m wide median with 2.15 m wide footpath plus RCC railing + RCC crash barrier on either side.

There will be a elevated circular rotary having 2 to 3 lane carriage way width on its all around. There may be additional requirement of Railway land at either ends of Railway Boundary.

Salient features of ROB:-

- a. Approximate total length of ROB:- 1380 m
- b. Approximate cost of ROB:-Rs. 82.00 Crore.
- c. Approximate Combined Approach + ROB length on Jaipur-Jodhpur NH:- 670m
- d. Approximate Combined Approach + ROB length on 80' feet Road :- 650 m
- e. Approximate Central portion over Railway Track: - 57 m

Merits:-

- a. There will be land acquisition of few shops on Jaipur end.
- b. Towards the Jodhpur End of ROB, there will be requirement of land from existing private Bus Stand (Kalwi Pyau).
- c. There is no issue of drainage problem
- d. There is no issue of head on collision because of continuous median. Adequate space is present in entire length of ROB.

4.

Alternative 4:-

'T' shaped ROB having two legs on Jaipur-Jodhpur Road and third leg on RTO office road as elevated road starting from Railway Crossing to Paota C road

In alternative 4, consultant has proposed 'T' shaped ROB in which one of the leg of ROB is on RTO office road. This leg of ROB on RTO office road is proposed to construct as an elevated road starting from Railway crossing and ending on Paota C road near Galaxy school having 90 degree smooth bend near RTO office main gate. The elevated portion of ROB will be of 7.50 m (2 lane) with 0.50 m RCC crash barrier on either side. On Paota C where this ROB will end, there will be 2 lane Service road on its either side. Traffic coming from RTO office and going towards Jaipur or Jodhpur road will first come on Paota C road and take a 'u' turn to climb ROB. Similarly traffic coming from Jaipur-Jodhpur and going to RTO office will have to come down on Paota C road using this elevated road and take a 'U' turn and move through service road to RTO office.

Width of ROB on Jaipur-Jodhpur road is also of 7.50 m (2 lane) with 0.50 m wide RCC crash barrier on either side. In addition to ROB approaches there will be 2 Two lane at grade carriage way meant for Jaipur-Jodhpur National Highway. Junction of 'T' shaped ROB shall be in the form of circular/ elliptical rotary.

Salient features of ROB:-

- a. Approximate Total length of ROB:- 1907 m
- b. Approximate cost of ROB :- Rs. 115.00 Crore
- c. Approximate Elevated road length :- 980 m
- d. Approximate Combined Approach + ROB length on Jaipur-Jodhpur NH:- 870 m
- e. Approximate Central Portion Length over Railway track:- 57 m

Demerits:-

- a. Because of huge length of ROB this option is non economical viable.
- b. The traffic plying from Jaipur-Jodhpur side will not have direct access to the RTO office as it need to take 'U' turn on Paota C road.

The Drawings of all the above 4 alternatives submitted by the consultant have been examined by the E.E. Sir, S.E. Sir, D.E. Sir, the JDC Sir and the Chairman Sir and alternative 3 have been approved in anticipation of Authority Meeting of JDA. Hence, the agenda is submitted herewith before the Authority meeting of JDA for final approval of alternative no. 3 so that detailing and preparation of GAD can be done accordingly and the same can be submitted to Railways for approval.

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 3 में अंकित विकल्प के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्थित जोधपुर केन्ट रेल्वे स्टेशन से जोधपुर- जयपुर राजमार्ग/हाईवे तक भूमि अधिग्रहण के संबंध में।

श्रीमान आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के पत्र क्रमांक एसपीए/सचिव/2016/1090-1092 दिनांक 01.09.2016 पत्र अनुसार जोधपुर केन्ट रेल्वे स्टेशन से जोधपुर-जयपुर हाईवे मुख्य सड़क तक आम जन की असुविधा को देखते हुए जन उपयोग हेतु आम रास्ता/सड़क निर्माण हेतु सुझाव दिया गया। इस संबंध में माननीय केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री महोदय श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत भी उक्त जोधपुर केन्ट रेल्वे स्टेशन हेतु मुख्य सड़क से रास्ता उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने हेतु श्रीमान अध्यक्ष महोदय को अद्वैशासकीय पत्र द्वारा आग्रह किया है।

उक्त प्रस्ताव/पत्र की पालना में इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार एवं पटवारी (पूर्व) को दिनांक 07.09.2016 को उक्त क्षेत्र में प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु राजस्व अभिलेख अनुसार एवं मौका रिपोर्ट बनाये जाने हेतु आदेशित किया गया। पटवारी (पूर्व) एवं भू निरीक्षक जेडीए ने दिनांक 14.02.2017 को नक्शा किस्तवार ग्राम नांदडी एवं जमाबंदी की प्रति मय रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम नांदडी के खसरा संख्या 10/1 भूमि का कुल रकबा 3.3.11 बीघा किस्म बारानी प्रथम भूमि के खातेदार छंवरलाल, मदनलाल, रामेश्वर, चन्द्रसिंह, नरसिंह, अशोक कुमार पिता कानाराम जाति माली निवासी रामसागर बेरा, पूजला के नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्राज है।

उक्त रिपोर्ट मय आवश्यक दस्तावेज के अधिशासी अभियंता एवं निदेशक आयोजना, जोविप्रा, जोधपुर को भेज कर मानचित्र हेतु लिखे जाने पर उनके द्वारा दिनांक 18.01.2018 को प्रस्तावित जोधपुर केन्ट रेल्वे स्टेशन का प्लानिंग स्केच प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार प्रस्तावित सड़क $80 \times 195 = 15,600$ वर्ग फीट यानी 1,449.81 वर्ग मीटर भूमि प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु आवश्यकता बतलाई गई है।

उपरोक्त सड़क निर्माण की जरूरत को देखते हुए तुरंत अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अधिग्रहण किये जाने की कार्यवाही की जाती है तो लगभग दो वर्ष व्यतीत होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में खातेदारों से समझाईश/करार (नगोसिएशन) के आधार पर प्राधिकरण अधिनियम की धारा 45 के तहत उक्त प्रयोजन हेतु भूमि

खरीद की जानी उचित होगी एवं भुगतान की कार्यवाही अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा दिया जाना उचित रहेगा ताकि अविलंब भूमि को हस्तगत किया जा सके।

भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्वासन में उचित प्रतिकर का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार आवागमन हेतु प्रस्तावित सङ्क 80ग195 = 15,600 वर्ग फीट यानी 1,449.81 वर्ग मीटर वर्तमान में ग्राम नांदडी के खसरा संख्या 10 की डीएलसी दर रुपये 47,96,880/- प्रति बीघा यानी 2963.34/- व.मी. बनती है जो गणना अनुसार 42,96,280/- भूमि की कीमत एवं 100 प्रतिशत सोलेसियम राशि रु. 42,96,280/- कुल 85,92,560/- कुल भूमि की कीमत होती है एवं भूमि पर स्थित भौतिक संरचनाओं व पेड़ों का तकनीकी अधिकारी व मण्डल वन अधिकारी द्वारा अलग से मूल्यांकन करवाया जाकर उक्त गणना में शामिल किया जायेगा।

अतः जोधपुर केंट रेलवे स्टेशन से मुख्य सड़क तक जन उपयोग हेतु प्रस्तावित मार्ग/सड़क निर्माण का अनुमानित व्यय प्राधिकरण बैठक में अनुमोदन हेतु सादर प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में उक्त प्रकरण में विचार विमर्श किया गया एवं सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जोधपुर - जयपुर हाई-वे मुख्य सड़क तक आमजन की असुविधा को देखते हुए जन उपयोग हेतु आम रास्ता / सड़क जोधपुर केन्ट रेलवे स्टेशन पर निर्मित की जावे। जिसके लिए प्रारम्भिक अवस्था ग्राम नांदडी खसरा संख्या 10/1 कुल रकबा 3.3.11 बीघा किस्म बारानी-1 के खातेदारों से प्रस्तावित सड़क हेतु 80 फीट गुणा 195 फीट अर्थात् 15,600 वर्ग फीट अथवा 1449 वर्ग मीटर भूमि ली जानी है। अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि अर्जन की कार्यवाही जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 45 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा की जावे। विचार विमर्श के दौरान यह बात भी जानकारी में लायी कि भूमि प्राप्त करने के लिए जो राशि की गणना की गयी है वह सरसरी तौर पर की गयी है इसलिए जो भी वास्तविक राशि नियमानुसार भूमि के एवज में देय होगी उस राशि के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है तथा साथ ही आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण को इस बाबत अधिकृत किया जाता है कि यदि वह प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत यह उचित समझे कि इस भूमि के बदले नियमानुसार विकसित भूमि खातेदारों की सहमति के अनुसार प्राधिकरण की योजना में से देना चाहे तो वह निर्णय लेने के लिए भी स्वतंत्र रहेंगे।

प्रस्ताव संख्या 8 :: राजमाता विजयराजे सिन्धियां अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेशन कम्यूनिटी हेतु आरक्षित भूमि आवंटन हेतु प्राप्त पत्र पर विचार।

प्राधिकरण द्वारा विवेक विहार योजना में राजमाता विजयराजे सिन्धियां अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेशन कम्यूनिटी का निर्माण पीपीपी मोड़यूल पर करवाये जाने का निर्णय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15.11.2017 को प्रस्ताव सं. 49 के तहत लिया गया था।

प्राधिकरण द्वारा कन्वेशन सेन्टर निर्माण हेतु विवक विहार योजना मे 25.50 बीघा भूमि आरक्षित की गई है। प्राधिकरण द्वारा डीपीआर बनवाने हेतु नियुक्त कन्सलटेन्ट द्वारा तैयार की गई डीपीआर के अनुसार इस प्रोजेक्ट को self sustainable & viable बनाने हेतु विवेक विहार योजना मे आरक्षित habitant centre की भूमि को भी इस भूमि के साथ मिलाने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के अनुसार बिडर जो कन्वेशन सेन्टर का निर्माण करेगा व habitant centre का भी निर्माण करेगा। अतः कन्वेशन सेन्टर की भूमि के साथ habitant centre की 13 बीघा भूमि को कन्वेशन सेन्टर की 25.50 बीघा भूमि के साथ शामिल करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 09.02.18 में प्रस्ताव सं. 11 के जरिये कन्वेशन कम्प्यूनिटी निर्माण हेतु विवेक विहार योजना में 25.50 बीघा आरक्षित भूमि के अतिरिक्त उसी भूमि के समीप स्थित हेबीटेर सेन्टर के लिए आरक्षित 13 बीघा भूमि को भी शामिल करने का जो प्रस्ताव नियुक्त कन्सलटेंट द्वारा दिया गया है उसकी सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है ताकि यह प्रोजेक्ट self sustainable & viable हो सके साथ ही प्रकरण अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया था।

अतः कार्यकारी समिति में लिए गए निर्णय अनुसार उक्त प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्राधिकरण की बैठक में रखे जाने हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। हस्तान्तरित की जाने वाली उक्त सम्पत्ति का स्वामीत्व जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का ही रहेगा।

प्रस्ताव संख्या 9 :: राज्य सरकार के निर्देश दिनांक 06.06.2017 के कम में नीलामी बोली के कम में बेस दर निर्धारण/ अन्तिम बोली निर्धारण के संबंध में।

नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प. 11 (40) नविवि / 2016 दिनांक 6 जून, 2017 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि यदि प्राधिकरण को उनके द्वारा पूर्व में निर्धारित न्यूनतम नीलामी दर अधिक पायी जाती है तो न्यूनतम नीलामी दर को कम करने हेतु/पुनः निर्धारित करने हेतु निर्णय कार्यकारी समिति/ ट्रस्ट की बैठक में लिया जाकर न्यूनतम नीलामी दर को निर्धारित किया जावे। इस संबंध में दिनांक 5 फरवरी, 2018 को आयुक्त, जोधपुर की विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें निदेशक—वित्त, सचिव, उपायुक्त समस्त एवं कार्यवाहक निदेशक—अभियांत्रिकी ने भाग लिया। उक्त बैठक में राज्य सरकार के निर्देशों के कम में वस्तुस्थिति के संबंध में विचार विमर्श किया गया जिससे यह पाया गया कि गत दो वर्षों में प्राधिकरण द्वारा जितनी भी नीलामी आयोजित की गयी है उनमें से 95 प्रतिशत से अधिक नीलामी प्रतिस्पर्धा नहीं होने, बोलीदाता उपस्थित नहीं रहने अथवा उपयुक्त स्तर तक बोली प्राप्त नहीं होने के कारण रद्द कर दी गयी। इस प्रकार समाचार—पत्रों में विज्ञापन, प्रचार प्रसार व टेन्ट आदि का व्यय भी प्राधिकरण पर बौझ के रूप में पड़ा है। वर्तमान में जो नीलामी की प्रक्रिया अपनायी जा रही है उस पर भी विचार विमर्श किया गया। जिससे यह पाया गया कि किसी भी क्षेत्र विशेष में भूखण्ड की नीलामी के लिए न्यूनतम दर वह रखी जा रही है जो इस क्षेत्र विशेष में नीलामी बोली के रूप में गत नीलामी में स्वीकृत हुई। जबकि राजस्थान नगर सुधार (भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के प्रावधान संख्या—6 में स्पष्ट है कि न्यूनतम नीलामी दर ट्रस्ट/प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आरक्षित दर होनी चाहिए। इस संबंध में सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक जोविप्रा/2015/585— 597 दिनांक 1 जून, 2015 के द्वारा आरक्षित दर को न्यूनतम बिक्री मूल्य मानकर बोली प्रारम्भ करने के निर्देश भी जारी किये गये थे। जिसकी पालना भी नहीं की जा रही है। अतः वर्तमान मंदी की स्थिति को एवं गत दो वर्षों की नीलामी की असफलता को देखते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में न्यूनतम नीलामी दर अर्थात् Base Value को वर्तमान आरक्षित दर गुणा 1.2 रखा जावे एवं अन्तिम नीलामी दर अर्थात् स्वीकृत की जाने वाली दर को भी उस क्षेत्र में पूर्व स्वीकृत हुई नीलामी दर का आंकलन कर उससे 20 प्रतिशत तक कम करके स्वीकृत किया जाना चाहिए। इस आशय का प्रस्ताव आगामी बैठक में रखकर इस पर अपेक्षित निर्णय करवाया जावे।

इसके अतिरिक्त राजस्थान नगर सुधार (भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के प्रावधान संख्या-12 सपष्टित प्रावधान संख्या-6 में यह उल्लेख है कि किस प्रकार किस क्षेत्र विशेष की आरक्षित दर निर्धारित की जावेगी। अतः इस हेतु एक समिति गठित करने का निर्णय लिया जिसमें प्रस्तावित आरक्षित दर जोनवार तैयार कर आयुक्त महोदय के माध्यम से कार्यकारी समिति/प्राधिकरण को प्रस्तुत करके उस पर निर्णय करवाया जाना अपेक्षित है। उक्त कार्य के लिए समिति के अध्यक्ष – सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, उपाध्यक्ष – निदेशक-वित्त, सदस्य सचिव – संबंधित उपायुक्त, सदस्य – निदेशक (अभियांत्रिकी) अथवा उनके प्रतिनिधि जो अधीक्षण अभियन्ता की रैंक से नीचे का न हो, गठित की जावे। इस संबंध में संबंधित उपायुक्त का यह दायित्व होगा कि वह अपने जोन में प्रचलित आरक्षित दर का जोनवार विस्तृत विवरण तैयार कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करे जिस पर विचार विमर्श कर समिति अपनी अनुशंसा आयुक्त, प्राधिकरण, जोधपुर को भिजवायेगी।

निर्णय कार्यकारी समिति

बैठक में बाद विचार विमर्श प्रस्तुत तथ्यों के प्रकरण में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि माह मार्च, 2019 तक प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भूखण्ड नीलामी के बोली का प्रारम्भ आरक्षित दर से किया जावे एवं अन्तिम नीलामी बोली का निस्तारण करते समय उसी क्षेत्र में पूर्व में हुई अधिकतम नीलामी राशि से 20 प्रतिशत कम राशि तक भी अनुमोदित किया जा सकता है। माह मार्च, 2019 के पश्चात् उक्त प्रस्ताव पर पुनःविचार कर समिति द्वारा अन्तिम नीलामी बोली की स्वीकृति के “केप” को सशोधित / योजना की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार पुनःविचार किया जावे। उक्त प्रकरण को आगामी प्राधिकरण की बैठक में प्राधिकरण की स्वीकृति/अस्वीकृति के कम में प्रस्तुत किया जावे।

अतः उपरोक्त अनुसार कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 09 फरवरी 2018 के प्रस्ताव संख्या 39 के निर्णय के परिपेक्ष में प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ एवं निर्णायार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय प्राधिकरण

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि आरक्षित दर का क्षेत्र अनुसार कम की जावे। आरक्षित दर कम करने के लिए संबंधित उपायुक्त, अधिकारी अभियन्ता एवं तहसीलदार, सहायक लेखाधिकारी-गा की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। उक्त समिति द्वारा लिये गये निर्णय को कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाकर ही अन्तिम निर्णय लिया जावेगा। जिसके लिए कार्यकारी समिति सक्षम होगी।

प्रस्ताव संख्या 10 :: प्राधिकरण के मकानों का किराया निर्धारण के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर का गठन होने के पश्चात प्राधिकरण का विस्तृत एरिया होने पर एवं नवीन उच्च पद स्वीकृत होने के पश्चात नगरीय विकास विभाग एवं अन्य राजकीय विभाग से अधिकारियों व कर्मचारियों का पदस्थापन जोधपुर में किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा मांग अनुसार रहवासीय प्रयोजनार्थ भवन आवंटित किये जाते हैं। जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में भवन आवंटन के संबंध में नीति का निर्धारण नहीं है। ऐसी स्थिति में अन्य विभागों में कार्यरत अधिकारियों को प्राधिकरण के भवन आवंटन होने के पश्चात मकान किराया की राशि वसूली करने पर दरों के संबंध में असंमजस्य की स्थिति बनी रहती है।

प्राधिकरण के आवासों का अन्य विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवंटन होने एवं प्राधिकरण से स्थानान्तरित, किन्तु प्राधिकरण आवासों में निवासरत कार्मिकों के मकानों के किराया निर्धारण के संबंध में प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में रखा गया।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15.11.2017 के प्रस्ताव संख्या 31 में सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर का गठन होने के पश्चात जोधपुर शहर में पदस्थापित होने पर अधिकारियों को तथा विशेष परिस्थितियों में भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्राधिकरण के आवास रिक्त होने पर आवंटित किये जाते रहे हैं। इन अधिकारियों को यदि स्थानान्तरण जोधपुर मुख्यालय पर ही अन्य विभागों में भी हो जाता है तब भी इन अधिकारियों द्वारा उक्त आवासों में निवास किया जाता है जिसकों लेकर कई बार मकान किराया राशि के संबंध में विषय उत्पन्न होता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण में पदस्थापित अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग के आवासों में भी रह रहे हैं एवं जो भी राज्य सरकार के मानक अनुसार ही किराये पर भुगतान करते हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में यह उचित समझा जाता है कि किसी भी अधिकारी को प्राधिकरण का आवास आवंटित है और वह जोधपुर मुख्यालय पर ही किसी अन्य विभाग में पदस्थापित हो जाता है तो उस परिस्थिति में भी उससे वही मकान किराया वसूल किया जावे जो राजकीय नियमों में राजकीय आवासों के लिए देय होता है। मुख्यालय से बाहर स्थानान्तरण होने पर राज्य सरकार के नियमानुसार भुगतान प्राप्त किया जावे। क्योंकि उक्त प्रकरण नीतिगत रूप से भी संबंधित है इसलिए इस मामले को अनुमोदन के लिए प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः प्रकरण बैठक में उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया कि जब तक अधिकारी/कर्मचारी जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में अथवा जोधपुर शहर में पदस्थापित रहते हैं, तब तक नियमानुसार राज्य सरकार के मानक अनुसार ही किराया राशि की कटौती संबंधित विभाग में की जावे तथा फनीचर किराया एवं अन्य कटौती की राशि (मकान किराया भत्ता राशि के अलावा) प्राधिकरण कार्यालय में संबंधित विभाग द्वारा जमा करवायी जावे।

प्रस्ताव संख्या 11 :: बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में दिन-रात किकेट प्रतियोगिता हेतु नियम एवं शर्तें

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की बैठक दिनांक 15 मई 2017 के प्रस्ताव संख्या 06 में बरकतुल्ला खाँ स्टेडियम के आवंटन नियम/विनियम बाबत् प्रस्ताव के अंतर्गत रात्रिकालीन/दिन-रात किकेट प्रतियोगिता आयोजित करने पर आवेदक से रु. 50,000/- प्रतिघंटा की दर से किराये की राशि निर्धारित की गई थी। परन्तु प्रतिदिन न्यूनतम कितने घंटे तक फ्लड लाईटों का उपयोग/आवंटित की जायेगी एवं धरोहर राशि का निर्धारण से संबंधित का निर्णय नहीं लिया गया था। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में रखा गया।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15.11.2017 के प्रस्ताव संख्या 35 में निर्णय लिया गया कि बरकतुल्ला खाँ स्टेडियम में दिन-रात किकेट प्रतियोगिता हेतु नियम दिनांक 15.05.2017 को प्राधिकरण की बैठक के प्रस्ताव संख्या 6 में बनाये गये थे। उन नियमों में निम्नलिखित अनुसार संशोधित किया जाता है:-

1— दिनरात किकेट मैच प्रतियोगिता के लिए एक दिन में कम से कम 4 घंटे फ्लड लाईट का उपयोग अवश्य होगा अन्यथा स्थिति में भी शुल्क का निर्धारण 4 घंटे के आधार पर किया जावेगा।

2— दिनरात किकेट मैच के लिए न्यूनतम धरोहर राशि 50,000/- करने का निर्णय लिया गया।

उक्त प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए आगामी प्राधिकरण बैठक में इसका अनुमोदन करवाने हेतु प्रकरण आगामी प्राधिकरण बैठक में प्रस्तुत किये जाने का सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया।

अतः प्रकरण बैठक में उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: वृक्षारोपण पट्टी के निर्धारण के संबंध में।

जोधपुर मास्टर प्लान, 2023 के बिन्दु संख्या 4.11 में उल्लेख है कि 'राजमार्गों एवं बाईपास जिनका मार्गाधिकार 200 फुट व 160 फुट है, के दोनों ओर सड़क के मध्य से 70 फुट या 60 फुट की दूरी पर क्रमशः 16 फुट एवं 12 फुट चौड़ी सर्विस रोड़ रखी जावेगी। इस सर्विस रोड़ के बाहर की तरफ दोनों ओर विद्युतिकरण एवं हरियाली के लिये क्रमशः 14 फुट का सोल्डर छोड़ा जायेगा। इन सड़कों के मार्गाधिकार के पश्चात् 100 फुट चौड़ी पट्टी गहन वृक्षारोपण हेतु सभी विकासकर्ताओं द्वारा छोड़नी होगी तथा इस पट्टी के बाद ही उपयुक्त समस्त अनुज्ञेय विकास कार्य किये जा सकेंगे।

उपरोक्त के क्रम में मास्टर प्लान अनुसार विभिन्न सड़कों पर प्लान्टेशन किस बिन्दु से आरंभ किया जाना है, के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। वर्तमान में मास्टर प्लान, 2023 के नगरीयकरण योग्य क्षैत्र से बाहर 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी आरक्षित रखते हुए प्रकरणों का अनुमोदन किया जाता रहा है। अतः इस संबंध में निर्णय अपेक्षित है।

साथ ही शताब्दी सर्किल से पाली की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्लान्टेशन के निर्धारण के संबंध में निर्णय अपेक्षित है तथा जयपुर रोड़ से चौखा जाने वाली डांगियावास बाईपास पर पूर्व में 75 फीट प्लान्टेशन का निर्धारण करते हुए अनुमोदन किये जाते रहे हैं एवं वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका 1554/2004 में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2017 के अनुसरण में प्राप्त नवीन प्रकरणों में 100 फीट प्लान्टेशन छोड़ा जाना अथवा 75 फीट प्लान्टेशन रखा जाना है। इस संबंध में भी सक्षम स्तर से निर्णय अपेक्षित है। उपरोक्तानुसार विचारार्थ बाद निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि उक्त प्रकरण प्राधिकरण की बैठक से संबंधित नहीं है। अतः विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से बैठक में इस प्रस्ताव के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: मास्टर प्लान, 2031 की डी.सी.आर. निर्धारण के संबंध में।

वर्तमान में प्रारूप मास्टर प्लान में कुछ उपयोगों यथा फेर्स्टीवल सिटी, नॉलेज सिटी एवं हेल्थ केयर सिटी, कॉर्पोरेट पार्क, लेण्ड पुलिंग एण्ड रिडिस्ट्रीब्यूशन जोन, ट्रान्सपोर्ट हब आदि के डी०सी०आर (डवलपमेंट कंट्रोल रेग्युलेशन) तैयार नहीं किये गये हैं। अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में

एवं हिली व रॉकी क्षेत्र में अनुज्ञेय उपयोग बाबत मार्गदर्शन प्रारूप मास्टर प्लान में उल्लेख अनुसार मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान—जयपुर से लिया जाना अपेक्षित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावानुसार राज्य सरकार से इस संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दुर्ग गाथा आयोजन समिति को बतौर प्रायोजक के 21 लाख रुपये सहायता राशि देने बाबत।

महासचिव दुर्ग गाथा आयोजन समिति, श्री निर्मल गहलोत द्वारा दिनांक 22.9.17 को अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण को पत्र प्रेषित कर दिनांक 11 से 15 अक्टूबर 2017 तक मरु केसरी वीर दुर्गादास राठौर के जीवन पर आधारित धनि एवं प्रकाश की नवीनतम तकनीकों के साथ भव्य महानाट्य "दुर्ग गाथा" के आयोजन में जोधपुर विकास प्राधिकरण से बतौर प्रायोजक के सहायता राशि 21 लाख रुपये स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

इस प्रकरण में संबंधित पत्रावली पर परीक्षण स्वरूप की गयी टिप्पणियों के पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत की गयी जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा पत्रावली के अनुच्छेद सं. 57 पर निम्नानुसार टिप्पणी की गयी –

1. ऑथोरिटी की प्रत्याक्षा में स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. बजट का रिएप्रोप्रियेशन किया जाये।

उक्त स्वीकृति की अनुपालना में दिनांक 9.10.17 को निदेशक अभियांत्रिकी, निदेशक वित्त, आयुक्त व मुख्य लेखाधिकारी द्वारा बजट का रिएप्रोप्रियेशन निर्धारित प्रारूप में किया गया।

उपरोक्त आदेशों की पालना में जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 56 सप्तित धारा 16 (एच) 'सांस्कृतिक गतिविधियों' के तहत 21 लाख रु. की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति प्राधिकरण से स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी की गई है। भुगतान दुर्ग गाथा आयोजन समिति जोधपुर को किया जायेगा तथा व्यय मद संख्या 5001-07-017 सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलकूद प्रतियोगिता पर विकलित होगा।

प्रस्ताव अवलोकनार्थ व अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव – 2017 में बतौर प्रायोजक के 2.50 लाख रुपये की स्वीकृति राशि देने बाबत।

दैनिक भास्कर, जोधपुर द्वारा प्रो. डॉ. महेन्द्र राठौड़, अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण को दिनांक 24.09.2017 को पत्र प्रष्ठित किया जाकर "दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव - 2017 में प्रायोजक बनाने बाबत" अनुरोध किया गया है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा पत्र पर रूपये 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) की स्वीकृति दी गयी। इस संबंध में संबंधित पत्रावली पर परीक्षण स्वरूप की गयी टिप्पणियों के पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष पत्रावली दिनांक 18.10.2017 को प्रस्तुत की गयी जिसमें अनुच्छेद संख्या 78-79 में निम्न टिप्पणी का दिनांक 24.10.2017 को निर्णय/अनुमोदन किया गया।

1. ऑथोरिटी की प्रत्याक्षा में स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. बजट का रिएप्रोप्रियेशन किया जाये।

उक्त स्वीकृति की अनुपालना में दिनांक 1.11.2017 को आयुक्त, निदेशक वित्त, निदेशक अभियांत्रिकी एवं मुख्य लेखाधिकारी द्वारा बजट का रिएप्रोप्रियेशन निर्धारित प्रारूप में किया गया।

उपरोक्त आदेशों की पालना में जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 56 संपर्कित धारा 16 (एच) सांस्कृतिक गतिविधियों के तहत 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राधिकरण से स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी की जाती है। भुगतान दैनिक भास्कर को व्यय मद 5001-07-017 सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलकूद प्रतियोगिता पर विकलित होगा।

प्रस्ताव अवलोकनार्थ व अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 16 :: प्राधिकरण की विवेक विहार योजना हेतु खातेदारों से अवाप्त की गई भूमि के अवार्ड जारी करने के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विवेक विहार योजना हेतु अवाप्त की गई भूमि ग्राम सांगरिया एवं कुड़ी भगतासनी जोधपुर के अन्तिम मुआवजे अवार्ड संख्या भुआ/20/664 दिनांक 26.10.2004 को अंतिम अवार्ड जारी हुआ था। परन्तु कुछ खसरों में खातेदारों का नाम अवार्ड आदेश में दर्ज होने से छूट गए हैं। जिनके कारण उन व्यक्तियों को मुआवजा भुगतान नहीं किया जा सका। इस हेतु उक्त प्रकरण दिनांक 05.08.2016 को आयोजित प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्ताव संख्या 48 व 49 पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

निर्णय कार्यकारी समिति

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के प्रकरणों की जांच के लिए एक अलग से समिति गठित की जावें। जो विस्तृत जांच कर मौका देखकर समेकित रिपोर्ट संबंधित उपायुक्त को प्रस्तुत करें जो बाद अपनी टिप्पणी के संचिव के माध्यम से आयुक्त महोदय को प्रस्तुत करें जिससे कि इस प्रकार के प्रकरणों में नियमानुसार निर्णय लेने के लिए कार्यवाही की जा सकें। उपरोक्त कार्य हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:-

- 1— तहसीलदार—दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 2— सहायक नगर नियोजक(संबंधित), जो.वि.प्राधिकरण, जोधपुर
- 3— कनिष्ठ अभियन्ता—दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 4— पटवारी—दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 5— संबंधित अवार्ड लिपिक, विवेक विहार शाखा, जो. वि. प्रा. जोधपुर

कार्यकारी समिति के उक्त निर्णय की अनुपालना में ऐसे प्रकरणों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु समिति का गठन कार्यालय आदेश क्रमांक 2921 दिनांक 06.06.2017 द्वारा निम्नानुसार किया गया:—

1. तहसीलदार दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. सहायक नगर नियोजक (संबंधित), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. कनिष्ठ अभियन्ता दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. श्री सुरेश बिश्नोई, पटवारी दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. श्री मोतीलाल सेवानिवृत जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. श्री प्रेमप्रकाश, सेवानिवृत जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
7. संबंधित अवार्ड लिपिक विवेक विहार शाखा, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

उक्त समिति ने कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड की जांच कर समेकित रिपोर्ट तैयार जांच प्रतिवेदन पत्र के साथ दिनांक 25.09.2017 को प्रस्तुत कर दी है। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों का सांराश निम्नानुसार है:—

क्रस	खातेदार	क्रेता / हितबद्ध	खसरा नं. व ग्राम	दस्तावेज विवरण	समिति द्वारा अनुशंसा	विशेष विवरण
1	चेलाराम पुत्र प्रभुराम के नाम उपखण्ड आधिकारी भूमि रूपान्तरण, जोधपुर द्वारा ख.न. 302 ग्राम कुड़ी भगतासनी के भूखण्ड सं. 1 से 3 क्षेत्रफल 1500 व.ग. का पट्टा क्रमांक 2946 दिनांक 13. 12.1995 जारी है।	1. दिलीप कुमार पुत्र शिवराज जैन 2. श्रीमती प्रेमलता पत्नी सत्यनारायण वर्गेरा 3. श्री प्रदीप कुमार जैन पुत्र श्री खेमचंद	302 कुड़ी भगतासनी (उक्त तीनों हितबद्ध है)	1. पट्टाधारक चेलाराम पुत्र प्रभुराम द्वारा भूखण्ड सं 01 रकबा 500 व.ग. दिलीप कुमार जैन के पक्ष में दिनांक 20.02.1997 को बेचान इकरार किया गया। 2. पट्टाधारक चेलाराम पुत्र प्रभुराम द्वारा भूखण्ड सं. 02 रकबा 500 व.ग. का प्रेमलता पत्नी सत्यनारायण के पक्ष में दिनांक 03.02.1997 को अपंजीकृत आम मुख्यारनामा, बेचान इकरारनामा व वसीयतनामा निष्पादित किया गया। 3. पट्टाधारक चेलाराम पुत्र प्रभुराम द्वारा भूखण्ड संख्या 03 क्षेत्रफल 500 व.ग. का श्री प्रदीप जैन को दिनांक 02.06.1996 को बेचान इकरार किया गया।	हितबद्ध व्यक्तियों के पास पंजीकृत विक्रयनामा नहीं है। अतः मूल पट्टाधारक श्री चेलाराम पुत्र प्रभुराम का नाम खसरा सं. 302 क्षेत्रफल 1500 व.ग. ग्राम कुड़ी भगतासनी में जोड़ना प्रस्तावित है।	अवार्ड में नाम नहीं

2 व 3	भवरलाल पुत्र राजुराम मेघवाल के नाम उपखण्ड अधिकारी भूमि रूपान्तरण, जोधपुर द्वारा ख.नं. 303 ग्राम कुड़ी भगतासनी के भूखण्ड सं. 127 एवं 128 क्षेत्रफल 1000 व.ग. का पट्टा क्रमांक 2978 दिनांक 13. 12.1995 जारी है।	श्रीमती सुशीला छाबड़ा पत्नी श्री शिवशरण लाल छाबड़ा, (रजिस्टर्ड बेचाननामे द्वारा क्रेता)	303 कुड़ी भगतासनी	पट्टाधारक भवरलाल पुत्र राजुराम मेघवाल से श्रीमती सुशीला छाबड़ा पत्नी शिवशरण छाबड़ा ने पंजीकृत बेचाननामे से दिनांक 30.03.1996 को भूखण्ड सं. 127 रकबा 500 व.ग. कय किया गया।	श्रीमती सुशीला छाबड़ा का नाम खसरा नं. 303 क्षेत्रफल 500 व.ग. ग्राम कुड़ी भगतासनी में जोड़ना प्रस्तावित है।
4.	जोराम पुत्र नैनाराम के नाम उपखण्ड अधिकारी भूमि रूपान्तरण, जोधपुर द्वारा ख.नं. 303 ग्राम कुड़ी भगतासनी के भूखण्ड सं. 86 एवं 87 क्षेत्रफल 1000 व.ग. पट्टा क्रमांक 2938 दिनांक 13. 12.1995 जारी है।	1. दिनेश झंवर पुत्र जुगलकिशोर झंवर 2. शंकरदान पुत्र गोरखदान चारण 3. मंजू तातेड़ पत्नी प्रसन्ना तातेड़ (उक्त तीनों हितबद्ध हैं)	303 कुड़ी भगतासनी	1. पट्टाधारक जोराम पुत्र नैनाराम द्वारा भूखण्ड सं. 86 रकबा 500 व.ग. का अपंजीकृत बेचान इकरार, वसीयत एवं आममुख्यार दिनेश झंवर को दिनांक 30.05.1996 को किया गया। 2. पट्टाधारक द्वारा भूखण्ड सं. 87 रकबा 500 व.ग. का अपंजीकृत आममुख्यार नामा दिनांक 07.10.1996 को शंकरदान पुत्र गोरखदान चारण को नियुक्त किया गया। 3. पट्टाधारक द्वारा भूखण्ड सं. 87 रकबा 500 व.ग. का अपंजीकृत बेचान इकरार एवं वसीयतनामा मंजू तातेड़ को दिनांक 07.10.1996 को किया गया।	इस कार्यालय के आदेश क्र. 89 दिनांक 23. 09.2013 द्वारा श्री जोराम पुत्र नैनाराम का नाम खसरा नं. 303 क्षेत्रफल 1000 व.ग. ग्राम कुड़ी भगतासनी हेतु जोड़ा जा चुका है किंतु अवार्ड सं. जारी नहीं किया गया।

उक्त भूखण्डधारियों/खातेदारों के नाम अवार्ड आदेश में जोड़ने, अवार्ड सं. आवंटित करने एवं राज्य सरकार के आदेशानुसार भूमि के बदले विकसित भूमि के रूप में मुआवजा भुगतान करने के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रकरण प्राधिकरण बैठक के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय प्राधिकरण

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदन करते हुए प्रस्तावानुसार कार्यवाही करन का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में एक मास्टर प्लान का प्रकोष्ठ गठित किया जाने बाबत।

कार्यकारी समिति कि बैठक दिनांक 15.11.2017 के प्रस्ताव संख्या 37 के कम मे जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में एक मास्टर प्लान का प्रकोष्ठ गठित किया जाना प्रस्तावित है जिसमें एक वरिष्ठ नगर नियोजक, दो उप नगर नियोजक, दो सहायक नगर नियोजक व दो प्रारूपकार का पदस्थापन किया जाना है। चुंकि मास्टर प्लान 2031 जीआईएस (GIS) तकनीक पर बना हुआ है, अतः एक जीआईएस एक्सपर्ट का पदस्थापन आवश्यक है। इस संबंध में नगरीय विकास विभाग द्वारा द्विसदस्य समिति द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है।

उल्लेखनीय है कि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक के निर्देशन में मास्टर प्लान प्रकोष्ठ है जिसमें एक वरिष्ठ नगर नियोजक, दो उप नगर नियोजक, चार सहायक नगर नियोजक व चार प्रारूपकार है। चुंकि मास्टर प्लान का कार्य अतिमहत्वपूर्ण व गोपनीय प्रवृत्ति का है जिसमें आगामी समय में जोनल प्लान व सेक्टर प्लान भी तैयार किये जाने हैं। कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15.11.2017 के प्रस्ताव संख्या 37 में प्राधिकरण की आगामी बैठक में रखा जाकर अनुमोदन पश्चात् राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया था।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 18 :: शक्तियों की अनुसूची (Sechedule of powers) अनुसार कार्य आदेश जारी करने की अनुमति की कार्यरत् स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक में रखे जाने बाबत।

a- Annual rate contract of strengthning & widening of Roads under Jurisdiction of Zone South B

b- शोभावतों की ढाणी में स्थित यूआईटी प्लाट नं. 1 से 202 तक एवं मध्य वाली सड़कों का नवीनीकरण कार्य

c-बासनी कृषि मंडी तिराहे से रामेश्वर चौराहे तक सड़क सुदृढीकरण का कार्य

प्राधिकरण के जोन दक्षिण द्वारा विकास कार्यों को करवाये जाने हेतु निविदायें आमंत्रित कर "शक्तियों की अनुसूची (schedule of powers)" के बिन्दु संख्या 19 के अनुसरण में कार्या देश जारी किये जाते हैं।

जोन दक्षिण में जारी किये गये कार्य आदेशों में से कुछ कार्यों के कार्य आदेया निविदा खोले जाने की दिनांक से 60 दिवस पश्चात् जारी किये गये हैं जिनमें "शक्तियों की अनुसूची (schedule of powers)" के बिन्दु सं.19 के प्रावधानों के अनुसार कार्य आदेश जारी किये जाने की स्वीकृति दियें जाने के अधिकार प्राधिकरण बोर्ड में निहित हैं, प्रकरण निम्न है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा खोले जाने की दिनांक	कार्य जारी करने की दिनांक	कार्यादेश जारी करने में लगा समय
1.	Annual rate contract of Strenghtning & widening of Roads under Jurisdiction of Zone South B	28.06.2017	01.09.17	66 दिन
2.	शोभावतों की ढाणी में स्थित यूआईटी प्लॉट नं. 1 से 202 तक एवं मध्य वाली सड़कों का नवीनीकरण कार्य।	28.06.17	01.09.17	66 दिन
3.	बसनी कृषि मंडी तिराहे से रामेश्वर चौराहे तक सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य।	28.06.17	04.09.17	69 दिन

उपरोक्तानुसार 3 कार्यों में “शक्तियों की अनुसूची (schedule of powers)” अनुसार कार्य आदेश जारी किये जाने की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड बैठक द्वारा दी जानी थी। कार्यों की आवश्यकता एवं महत्वता को देखते हुए प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति की प्रत्याशा में कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं।

अतः प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में कार्योंतर स्वीकृति प्रधान करने हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय


बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(उल्लेखनीय है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण (कार्य संचालन) विनियम, 2014 के नियम 12 (2) में प्रावधान है कि यदि बैठक में उपस्थित पचास प्रतिशत हो या इससे अधिक सदस्य कार्यवृत्त प्राप्ति के सात दिवस के भीतर किसी विशिष्ट विनिश्चय या विनिश्चयों का कार्यवृत्त या उसके किसी भाग के गलत तथा/ या त्रुटिपूर्ण अभिलेखन के आधार पर आपत्ति करें और निवेदन करे कि उक्त विनिश्चय या विनिश्चयों का कियान्वयन रोक दिया जावेगा और अगली बैठक में ऐसे विनिश्चय लिये जाने तक कियान्वित नहीं किया जावेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के पच्चीस प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु पचास प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें और उसके या उनके प्रवर्तन को रोकने के लिए निवेदन करें तो अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, अगली बैठक तक, जब प्रश्न विनिश्चय के लिए रखा जायेगा, कियान्वयन रोक सकेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के बीस प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें तो उनकी आपत्ति या आपत्तियां विनिश्चय के लिए अगली बैठक में रखी जावेगी।


कार्यवृत्त जब तक कि रोक या उलट न दिया गया हो, संशोधन या उपान्तरित न कर दिया गया हो, पीठासीन सदस्य तथा सचिव के हस्ताक्षरों के पश्चात् पुष्ट किया हुआ समझा

जायेगा। परन्तु विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण, संशोधन या उनके उलटे जाने से विनिश्चय या विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण/संशोधन या उनके उलटे जाने से पूर्व की गई किसी बात या कार्यवाही पर (किसी) भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा)



(प्रो. (डॉ.) महेन्द्र सिंह राठौड़)
अध्यक्ष


क्रमांक/बैठक/2018/२३९-२५५



(अरुण पुरोहित)
सचिव
मान्य
दिनांक :: १५ अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपि वार्ता सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. अतिरिक्त शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. महापौर महोदय, नगर निगम, जोधपुर
03. जिला प्रमुख महोदय, जिला परिषद, जोधपुर
04. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
05. संयुक्त शासन सचिव-तृतीय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
06. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
08. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
09. उप आवासन आयुक्त-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
10. वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
11. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. निदेशक- अभियांत्रिकी/ आयोजना/ वित्त/ विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. उपायुक्त-पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, उप सचिव, भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. अधीक्षण अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
16. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17.



2
(अरुण पुरोहित) १५/३/२०१८
सचिव

परिशिष्ट-1

श्री (डॉ) महेन्द्र सिंह राठौड़, माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 22 फरवरी, 2018 को प्रातः 11.00 आयोजित प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण

1. श्री घनश्याम औझा, महापौर, नगर निगम, जोधपुर
2. श्री पूनाराम चौधरी, जिला प्रमुख, जिला परिषद, जोधपुर
3. श्री दुर्गेश कुमार विस्सा, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4. श्री छगन लाल गोयल, अतिरिक्त कलक्टर-प्रथम, जोधपुर
5. श्री संजीव माथुर, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
6. श्री नरेन्द्र बोहरा, उप आवासन आयुक्त-ग, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
7. श्री पी.आर. बेनीवाल, निदेशक (आयोजना), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8. श्री अरुण पुरोहित, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर